LOK SABHA

Thursday, May 27, 1971/ Jyaistha 6, 1893 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER in the Chair]

RF: DESIGNATIONS OF MINISTERS AND MINISTRIES

MR. SPFAKER: Shri Bhaura.

SHRI B. S BHAURA: 91.

डा० गीबिन्द दास : अध्यक्ष महोदय, आप बाज का कार्य आरम्भ करें, इसके पहले मुझे एक बान कहनी है; जिस प्रकार कल हमारे डी । एम । के । के नेताओं ने कहा था, उसकी दिन्ट में रखते हुए राष्ट्रपनि जी की जो विज्ञप्ति है मंत्रियों के नामों के सम्बन्ध में, वह वैसी की वैसी रहते हए भी लोक सभा में यह परिवर्तन क्यों हुआ है - बहु मेरी समझ के बाहर है। जहाँ तक नामों का सम्बन्ध है, राष्ट्रपति, लोक सभा, राज्य सभा, संसद, ये सब नाम उमी तरह से चले आ रहे है; जिस तरह से हमारी सरकार इन मंत्रियों के नामों को चलाना चाहती है। जो लोक-सभा के सम्बन्ध में अभी विज्ञाप्ति निकली है, मैं उसका घोर विरोध करना चाहता हैं और मैं कहन। चाहता है कि हिन्दी भाषी लोगों को ही नहीं, बल्कि इस राष्ट्र के जो प्रेमी है, राष्ट्र भाषा के जो प्रेमी हैं, उन सबको इससे बहुत क्षोभ हुआ है। मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई देना चाहता या कि उन्होंने मंतियों के नाम इस तरह से बदले, लेकिन उसी के साथ जब हम चौर विरोध भी करना चाहते हैं-लोश-सभा में जो कुछ हुआ उसका इसलिये हमारा विरोध नोट किया जाय और जब तक राष्ट्रपति की विज्ञप्ति वैसी की वैसी है, तब तक इन नामों में कोई परिवर्तन लोक-सभा में न किया जाय-स्वह मेरा निवेदन है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए:--

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक स्पप्टीकरण चाहता है...

अध्यक्ष महोदय : इमको बाद में देख लेगे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: चूकि यह मामला उठा है, इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है, यह आपने किया है या सरकार ने किया है?

अध्यक्ष महोदय : जैमा उन्होंने कहा था...

श्री अटल बिहारी वाजपेथी : किन्होंने कहा था?

अध्यक्ष महोवय : उनकी मीटिंग हुई है...

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: मीटिंग में बह फैसला नहीं हुआ था, यह गलत बात है.... एक मिनट मेरी बात मुन लें। हमने यह मौग नहीं की थी कि जहां अंग्रेजों में प्राइम मिनिस्टर लिखा जाता है, बहां प्रधान मंत्री लिखा जाय। सरकार ने स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा एक आदेश जारी करवाया, उसके अनुसार लोक-सभा में परिवर्तन हुआ। हमारे डी० एम० के० के मित्रों ने उस पर आपत्ति की। प्रधान मंत्री जी ने एक बैठक बुलाई, उसमें यह तय हुआ था कि इस समय जो स्थिति है, वह चलती रहेगी और एक कमेटी इसके कानूनी दाव-पेचों को देखेगी। लेकिन मुद्दों ताज्युव है कि सरकार ने बीच में ही परिवर्तन कर दिया और वह परिवर्तन भी

डी० एम० के० वालों को संतुष्ट नहीं कर सका है। जब तक राष्ट्रपति का वह आदेश वापस नहीं लिया जाता, यह परिवर्तन कैसे किया जा मकता है। मैं एक संवैधानिक प्रश्न उठा रहा हूँ—सरकार चाहे तो प्रेजिडेन्यल आर्डर को वापम ने सकती है, लेकिन उम आर्डर के कायम रहते हुए जो मंशोधन किया गया है, वह अवैध है और कम से कम लोक-सभा में उसको लागू नहीं करना चाहिए था।

SHRI INDRAJIT GUPTA: If the agreement that was reached in the meeting is to be discussed here, I would like to say something because I do not think Shri Vajpayee is correct. (Interruption),

SOME HON. MEMBERS rose-

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Complications are being created.

MR. SPEAKER: I will collect the relevant information...(Interruption)

SHRI INDRAJIT GUPTA: Let us get it clarified.

MR. SPEAKER: Question Hour is not the proper time to raise this question.

श्री रामदेव सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि इस समय उसके लिये टाइम नहीं है, लेकिन आपको इसके लिये प्रापर टाइम एलाट करना चाहिए, ताकि लोग अपनी बात रख सकों। मैं जानना चाहता हूँ कि जब राष्ट्रपति का आदेश कायम है, तब यह परिवर्तन क्यों किया गया?

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में मैंने कहा है कि इसको देख लेंगे।

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Uniform Price for Foodgrains

+

*91. SHRI B. S. BHAURA : SHRI R. V. BADĘ :

Will the Minister of AGRICULTURE (KRISHI MANTRI) be pleased to state:

- (a) whether the Agricultural Prices Commission wanted uniform price for foodgrains, especially wheat; and
- (b) whether Government would announce the prices only after consulting the Chief Ministers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) The Agricultural Prices Commission recommended a uniform price of Rs. 68.00 per quintal for indigenous red wheat and Rs. 74.00 per quintal for all other varieties of wheat for 1971-72 marketing season.

(b) After obtaining the views of the Chief Ministers, Government have fixed the procurement prices of all varieties of wheat excepting the indigenous red wheat at Rs. 76 00 per quintal. The procurement price of indigenous red wheat have been fixed between Rs. 71 00 and Rs. 74 00 on the basis of the proposals received from the State Governments Most of the State Governments were not in favour of reducing the procurement prices as suggested by the Agricultural Prices Commission.

SHRI B. S. BHAURA: I want to know whether it is a fact that the Government had rejected the recommendations of the Agricultural Prices Commission under pressure of big land owners and landlords and, if not, I want to know under what conditions, under what grounds, the Government had rejected the recommendations of the Agricultural Prices Commission when the Commission had recommended a reduction in the prices of wheat. Why had the Government not accepted that recommendation?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: The insinuation made by the hon. Member is not correct. The normal procedure is that after receiving the Report of the Agricultural Prices Commission, we discuss it in the Chief Ministers' Conference and, in consultation with the Chief Ministers, some price is suggested. Now, this time, there was a lot of discussion among the Chief Ministers and a consensus emerged that the same price which was being paid to the farmers last year should be maintained. The Agricultural